


मु0नं0 35/2018 उनवानी जयलालसिंह बनाम हीरानन्द वगै0

03.01.20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्ट्री लगवाये 1 माह से अधिक का समय हो चुका है। तामील पर्याप्त है। बार बार आवाज लगवाई गई। आवाज पर हाजिर नहीं आये ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर आये। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। संबंधित प्रार्थना पत्र उनवानी जयलाल बनाम हीरानन्द वगै0 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

